रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11112026-277829
SG-DL-E-11112026-277829

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 277
No. 331] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948 [N. C. T. D. No. 277

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 1/31/1051/एलसी/स्था0/2020/4644.4647.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा027/59–एचआईएम(i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 13.07.1984 की अधिसूचना संख्या फा0 2(9)/83 एस.IIके अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **संयुक्त श्रम आयुक्त** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को ''**संयुक्त श्रम आयुक्त** भर्ती नियमावली, 2026'' कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची–I

1.	**पदनाम**	:	**संयुक्त श्रम आयुक्त**
2.	**पदों की संख्या**	:	14* (2026) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह–'क', राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11(67700–208700/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है/गैर–चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	**परिवीक्षा अवधि नहीं**

10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	i. 85%पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित ii. 15%प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित
11.	**यदि पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 उप श्रम आयुक्त। **टीप** :जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति** : केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई 05 वर्षों की सेवा सहित तथा; (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वालेः– अनिवार्यः (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक कीं डिग्री। (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से औद्योगिक संबंधो या कार्मिक प्रबंधन या मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन या मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ 02 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और;

			(3) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में प्रशासनिक या श्रम कानून या मानव संसाधन या कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का कार्य अनुभव। वांछनीयः– 10वीं कक्षा हिंदी और/या अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 03 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ)** 1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) **–अध्यक्ष** 2. प्रशासनिक सचिव (श्रम) **–सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) **–सदस्य** **टीप** :–यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	पदोन्नति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मीना त्यागी, उप श्रम आयुक्त (प्रशा.)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th October, 2026

F. No. 1/31/1051/LC/Estt./2020/4644-4647.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13thJuly, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of this Government's Notification No. F.2(9)/83-S.II dated 13.07.1984 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Joint Labour Commissioner** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement**:

 i) These rules may be called "Joint Labour Commissioner" Recruitment Rules, 2026.

 ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Level of Pay in Pay Matrix**: The number of the said posts, their classification and level of pay in Pay Matrix shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications**: No person,

 a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

 b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

 Shall be eligible for appointment to the said post:

 Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**: Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons in consultation with UPSC.

6. **Saving**: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

1	Name of the post	Joint Labour Commissioner
2	No. of Posts	14* (2026) * Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non- Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix
5	Whether selection post or non- selection	Selection
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and Educational Qualifications prescribed for the direct	Not Applicable

	recruits will apply in the case of promotes	
9	Period of Probation, if any	No Probation
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	i 85% by promotion failing which by deputation including Short Term Contract ii 15% by deputation including Short Term Contract
11	In case of recruitment by promotion /transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	**Promotion:** Deputy Labour Commissioner in Level-10 of Pay Matrix with five (05) years of regular service in the grade. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation including Short Term Contract:-** Officers of the Central Government/State Government/ Union territories/ Autonomous or Statutory Organization /PSUs/Universities/Recognized Research Institutions: A. i.) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department: OR ii.) With 05 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-10 of pay matrix in the parent cadre or Department and; B. Possessing following educational qualification and experience:- Essential: (1) Bachelor Degree of a recognized university/institute, and (2) Post Graduate Degree with specialization in Industrial Relations or Personnel Management or Human Resource Development from a Recognized University/Institution. OR 02 Years Post Graduate Diploma with specialization in Industrial Relations or Personnel Management or Human Resource Development from a Recognized University/Institution and; (3) 05 years working experience in the field administrative or Labour Law or Human Resource or Personnel management in the Central Government/ State Government/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organization/ PSUs/Universities/Recognized Research Institutions. Desirable:- Passed 10th with Hindi and/Or English as a subject. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.) (The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipts of applications.)

12	If a DPC, exists, what is its composition	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion)**: 1. Additional Chief Secretary (Home) /Pr. Secretary (Home) – **Chairperson** 2. Administrative Secretary (Labour) – **Member** 3. Special/Additional Secretary (UD) – **Member** **Note:** Senior Most member of the Departmental Promotion Committee shall act as chairperson in case the notified chairman of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to the another member of the Departmental Promotion Committee.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with the UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MEENA TYAGI, Dy. Labour Commissioner (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.11 16:30:03 +05'30'